

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No.11 OF2025

In

Original Application No. 1075 OF2024

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors

.....Respondents

INDEX

Sr. no	Particulars	Page no.
01	Corrected Objection with Affidavit	1-15
02	Photograf dated 09.03.2026	16-21

दिनांक 23.03.2026

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता
नरेन्द्र कुशवाहा
(नरेन्द्र कुशवाहा)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No.11 OF2025

In

Original Application No. 1075 OF2024

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha

...Applicant

Versus

Union of India & Ors

...Respondents

Corrected Objection on behalf of the Applicant against the report dated 15.12.2025 submitted by the Joint Committee constituted in compliance with the order dated 18.09.2025.

श्रीमान् जी,

आवेदक विनम्रतापूर्वक यह आपत्ति प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी संख्या 8 (DFO, झाँसी) द्वारा दिनांक 24.01.2026 को दाखिल की गई संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 15.12.2025 झूठी, भ्रामक और मनगढ़ंत है। इसी संबंध में आवेदक निम्नलिखित आपत्तियाँ इंग्लिश अनुवाद सहित प्रस्तुत कर रहा है। माननीय महोदयगण से विनम्र निवेदन है कि पर्यावरण संरक्षण एवं न्यायहित में, प्रस्तुत आपत्ति में वर्णित सभी तथ्यों, साक्ष्यों, अभिलेखों एवं परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण एवं विचार करने के पश्चात प्रकरण में आवश्यक एवं यथोचित अग्रिम कार्यवाही हेतु उपयुक्त आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

The applicant respectfully submits that the joint committee report dated 15.12.2025, filed by Respondent No. 8 (DFO, Jhansi) on 24.01.2026, is false, misleading, and fabricated. In this regard, the applicant is presenting the following objections along with their English translation. **The Hon'ble Authority is respectfully requested, in the interest of environmental protection and justice, to examine and consider all the facts, evidence, records, and circumstances mentioned in the present objections and, thereafter, pass such appropriate orders as may be necessary and proper for taking further action in the matter.**

1. यह कि माननीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में आवेदक द्वारा दिनांक 27.09.2025 को झाँसी महानगर में कंक्रीटीकरण एवं अवैध वृक्ष कटान से प्रभावित वृक्षों का विस्तृत एवं क्षेत्रवार विवरण प्रभागीय वन अधिकारी, झाँसी सहित समस्त प्रतिवादियों को ई-मेल के माध्यम

से लिखित प्रस्तुति द्वारा विधिवत उपलब्ध करा दिया गया था। उक्त प्रस्तुति में झांसी नगर निगम के विभिन्न वार्डों, मोहल्लों, सड़कों एवं चौराहों पर स्थित वृक्षों की स्थिति का विस्तृत विवरण सम्मिलित था। जिसका उल्लेख पृष्ठ संख्या 398 के पैरा 7 पर किया गया है तथा संबंधित अभिलेख पृष्ठ संख्या 412 लगायत 421 पर संलग्नक है।

1. That, in compliance with the order of the Hon'ble Tribunal, the Applicant had duly provided, on **27.09.2025**, a detailed and area-wise description of the trees affected by concretization and illegal felling in Jhansi city to the **Divisional Forest Officer, Jhansi**, as well as to all the Respondents, through a written submission sent by e-mail. The said submission included a detailed account of the condition of trees located in various wards, localities, roads and intersections under the **Jhansi Municipal Corporation**. The same has been mentioned at **page no. 398, para 7**, and the relevant documents are annexed at **page nos. 412 to 421**.

2. यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट में जिन 971 स्थलों पर कंक्रीट हटाने का दावा किया गया है, वास्तविकता में अधिकांश स्थानों पर केवल लगभग 50-55 वृक्षों के तनों के चारों ओर मात्र लगभग 6 इंच की परिधि तक ही कंक्रीट हटाया गया है, जबकि वृक्षों की जड़ों के चारों ओर अब भी कंक्रीटीकरण/सीमेंटेड सतह यथावत बनी हुई है, जिससे वृक्षों को पर्याप्त जल, वायु एवं पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

2. That, in the said details submitted by the Applicant, it was clearly demonstrated that although the Joint Committee's report claims that concrete has been removed at **971 locations**, in reality, at most places only about **6 inches of concrete around the trunks of approximately 50-55 trees** has been removed, while the **concretized/cemented surface around the roots still remains intact**. As a result, the trees are not receiving adequate **water, air and nutrients**, thereby adversely affecting their growth and survival.

3. यह कि माननीय न्यायाधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान एवं आदेश जारी होने के बावजूद आज भी विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा झांसी महानगर के अनेक मार्गों, कच्चे एवं हरित क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थलों पर स्थित वृक्षों के तनों के चारों ओर कंक्रीटीकरण/सीमेंटेड सतह बनाई जा रही है तथा अनेक स्थानों पर वृक्षों को अवैध रूप से उखाड़ा एवं काटा जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सड़कों के किनारे स्थित कच्चे एवं हरित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों द्वारा भी वृक्षों को विभिन्न तरीकों से नष्ट किया जा रहा है तथा उन्हें जानबूझकर सुखाया जा रहा है। इन अवैध एवं पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के कारण लगभग 65 प्रतिशत वृक्ष सूखकर नष्ट हो चुके हैं तथा शेष अनेक वृक्ष नष्ट होने की कगार पर हैं।

3. That during the pendency of the matter before the Hon'ble Tribunal and despite the orders having been passed, even today various government departments are carrying out concretization/cementing around the trunks of trees situated along several roads, kutcha and green areas, and public places in Jhansi city. In many places, trees are also being illegally uprooted and cut. Furthermore, with the connivance of certain officials of the Municipal Corporation, individuals encroaching upon the kutcha and green areas along the roadsides are also destroying trees by various means and are deliberately causing them to dry up. Due to these illegal and environmentally harmful activities, approximately 65 percent of the trees have already dried up and been destroyed, while many of the remaining trees are on the verge of destruction.



4. यह कि नारायण बाग क्षेत्र के अंदर हजारों वृक्षों को काटकर दो बड़े नालों एवं एक पाथवे का निर्माण किया गया है। पाथवे निर्माण के लिए लगभग **12 × 2300 मीटर** तथा नाला निर्माण के लिए लगभग **15 × 2300 मीटर (लगभग 15 एकड़)** के विशाल हरित क्षेत्र को पूरी तरह उजाड़ दिया गया है। नारायण बाग में छोड़ें जा रहे शहर के जहरीले नालों से बाग की बड़ा क्षेत्रफल दलदल बन गया है जिसमें हजारों पेड़ सूखकर नष्ट हो गये हैं, साथ ही पाथवे एवं नाले के निर्माण के दौरान अनेक बड़े वृक्षों तथा कच्चे क्षेत्र को भी सीमेंटेड कर दिया गया है। जिसे पृष्ठ संख्या 56 लगायत 70 पर दिखाया गया है। इस गंभीर विषय के संबंध में संयुक्त समिति की रिपोर्ट में कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। पेज 56-70

4 That thousands of trees within the Narayan Bagh area have been cut down for the construction of two large drains and one pathway. For the construction of the pathway, approximately 12 × 2300 meters, and for the construction of the drains, approximately 15 × 2300 meters (about 15 acres) of vast green area has been completely destroyed. Due to the discharge of the city's toxic drains into Narayan Bagh, a large portion of the garden has turned into a marshland, where thousands of trees have dried up and been destroyed. Furthermore, during the construction of the pathway and drains, many large trees and unpaved (kaccha) areas have

also been cemented. This has been shown on pages 56 to 70. Despite the seriousness of this issue, no clear and satisfactory findings have been presented in the report of the Joint Committee. Page No. 56-70

5. यह कि झांसी स्थित डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) कार्यालय के मुख्य द्वार पर स्थित एक विशाल वृक्ष काट दिया था तथा दो वृक्ष को भी पूर्ण रूप से कंक्रीट से ढक दिया था, जिसको आवेदक द्वारा दिनांक 15.12.2025 को दायर Additional Submission के पृष्ठ संख्या 422 पर दिखाया गया था। बाद में उक्त वृक्ष को स्वयं DFO द्वारा कटवा दिया गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की घोर अवहेलना है।

5. That, at the **main gate of the office of the Divisional Forest Officer (DFO), Jhansi**, one large tree had already been cut and two other trees had been completely covered with concrete, which was shown by the Applicant in the **Additional Submission dated 15.12.2025 at page no. 422**. Subsequently, the said tree was also **cut down by the DFO himself**, which amounts to a **gross violation of the orders of the Hon'ble Supreme Court as well as the Hon'ble Tribunal**.

422

The concrete-encased tree located at the main gate of the office of the Divisional Forest Officer (DFO), Jhansi.



That, the tree shown at page no. 422 has been cut down by the DFO himself, and the said location has been indicated with a red arrow.



6. यह कि झांसी स्थित डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) कार्यालय के मुख्य द्वार पर स्थित उक्त विशाल वृक्ष को स्वयं DFO द्वारा कटवा दिया गया है। उक्त वृक्ष की स्थिति को गूगल मैप से प्राप्त फोटोग्राफ में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसमें उसे लाल तीर (Red Arrow) द्वारा चिन्हित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्व में उस स्थान पर एक विशाल वृक्ष मौजूद था जिसे बाद में काट दिया गया।

6. That, the said huge tree situated at the **main gate of the office of the Divisional Forest Officer (DFO), Jhansi** has been cut down by the DFO himself. The position of the said tree is clearly shown in the **photograph obtained from Google Map**, in which it has been **marked with a red arrow**, which clearly indicates that earlier a huge tree existed at that place which was later cut down.



7. यह कि माननीय न्यायाधिकरण में प्रकरण विचाराधीन होने के दौरान संबंधित विभागों द्वारा जानबूझकर झांसी महानगर के विभिन्न मार्गों के कच्चे एवं हरित क्षेत्रों को तथाकथित सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर कंक्रीटीकरण/सीमेंटेड कर लगभग 1 से 2 फीट ऊँची सतह निर्मित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्षा जल का प्राकृतिक रूप से भूमि में समावेशन (**Ground Water Recharge**) लगभग पूर्णतः बाधित हो गया है। इससे न केवल भूजल स्तर पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि शहरी पर्यावरणीय संतुलन भी व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है तथा भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ रही है। जिसे फोटोग्राफ्स में स्पष्ट देखा जा सकता है।

7. That during the pendency of the matter before the Hon'ble Tribunal, the concerned departments are deliberately carrying out large-scale concretization/cementing of the kutcha and green areas located along various roads in Jhansi city in the name of so-called beautification and development works, thereby creating an elevated surface of approximately 1 to 2 feet. As a result, the natural percolation of rainwater into the ground (Ground Water Recharge) has been almost completely obstructed. This is not only causing serious adverse effects on the groundwater level but is also widely disturbing the urban environmental balance and increasing the likelihood of a future water crisis. The same can be clearly seen in the photographs.





8. यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल OA NO. 1075 OF 2024 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 में आवेदक की उस शिकायत पर विचार किया गया, जिसमें झांसी महानगर के विभिन्न क्षेत्रों, कॉलोनियों, सरकारी विभागों तथा सड़कों के किनारे स्थित वृक्षों के तनों के चारों ओर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों के नाम पर कंक्रीटीकरण किए जाने तथा कई स्थानों पर अवैध वृक्ष कटान की बात उठाई गई थी। अधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि इसी प्रकार की शिकायत पूर्व में OA NO. 742 OF 2023 में भी उठाई गई थी, जिसका निस्तारण आदेश दिनांक 22.12.2023 द्वारा करते हुए वन अधिकारी, झांसी को शिकायत पर समुचित विचार कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था, किन्तु अभिलेखों से प्रतीत होता है कि उक्त निर्देशों के बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। जिसमें माननीय अधिकरण ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, प्रभागीय वन अधिकारी झांसी, झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त नगर निगम झांसी तथा जिलाधिकारी झांसी को सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त समिति का गठन किया तथा जिलाधिकारी झांसी को समन्वयक नियुक्त किया। समिति को निर्देशित किया गया कि वह झांसी शहर में स्थल निरीक्षण कर कंक्रीटीकरण से प्रभावित वृक्षों की पहचान करे, उनके तनों के चारों ओर किए गए कंक्रीटीकरण को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा यदि कहीं अवैध वृक्ष कटान पाया जाए तो जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक एवं सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

8. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in Original Application No. 1075 of 2024, vide order dated 21.08.2024, considered the grievance of the Applicant regarding concretization around the trunks of trees situated in various areas, colonies, government departments and along the roadsides

in Jhansi city, in the name of beautification and development works, as well as instances of **illegal felling of trees at several places**.

The Hon'ble Tribunal also noted that a **similar grievance had earlier been raised in Original Application No. 742 of 2023**, which was disposed of vide order dated **22.12.2023**, directing the **Forest Officer, Jhansi** to duly consider the complaint and take necessary corrective action. However, it appeared from the records that despite the said directions, the required action had not been taken.

Accordingly, the Hon'ble Tribunal constituted a **Joint Committee** comprising representatives of the **Uttar Pradesh Pollution Control Board, Divisional Forest Officer Jhansi, Vice-Chairman Jhansi Development Authority, Municipal Commissioner Nagar Nigam Jhansi, and District Magistrate Jhansi**, and appointed the **District Magistrate, Jhansi** as the **Nodal Coordinator**. The Committee was directed to **conduct a site inspection in Jhansi city**, identify the trees affected by concretization, ensure **removal of concretization around the tree trunks**, and in cases where **illegal tree felling is found**, to identify the responsible persons and take **necessary punitive and remedial action**, and thereafter submit its **report before the Hon'ble Tribunal within three months**.

9. यह कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा **OA NO. 742/2023** में पारित आदेश दिनांक **22.12.2023** तथा **OA NO. 1075/2024** में पारित आदेश दिनांक **21.08.2024** के अनुपालन में प्रतिवादियों द्वारा न तो अपेक्षित कार्यवाही की गई और न ही निर्धारित समयावधि में कोई समुचित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। फलस्वरूप आवेदक को विवश होकर वर्तमान **EA NO. 11/2025** दायर करना पड़ा। तथापि उक्त EA में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के स्थान पर प्रतिवादियों द्वारा वास्तविक कार्यवाही करने के बजाय माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष **झूठी, भ्रामक एवं मनगढ़ंत रिपोर्ट** प्रस्तुत की जा रही है, जो न्यायालय की अवमानना के समान गंभीर विषय है।

9. That, in compliance with the orders passed by the **Hon'ble Tribunal** in **O.A. No. 742/2023 dated 22.12.2023** and **O.A. No. 1075/2024 dated 21.08.2024**, the respondents have neither taken the required action nor submitted any proper report within the stipulated time. Consequently, the Applicant was compelled to file the present **E.A. No. 11/2025**. However, in the said E.A., instead of complying with the orders of the Hon'ble Tribunal and taking actual corrective action, the respondents are submitting **false, misleading and fabricated reports** before the Hon'ble Tribunal, which is a **serious matter amounting to contempt of the Court**.

10. यह कि आवेदक द्वारा दायर वर्तमान निष्पादन आवेदन (EA) संख्या 11/2025 तथा उसमें दाखिल की गई आपत्तियों एवं Additional Submission के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से उजागर किया जा चुका है कि प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष जानबूझकर झूठी, भ्रामक एवं मनगढ़ंत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तथा पारित आदेशों का समुचित अनुपालन भी नहीं किया गया है।

10. That, through the present Execution Application No. 11/2025 filed by the Applicant, along with the objections and Additional Submissions submitted therein, it has already been clearly brought on record that the respondents have deliberately submitted false, misleading and fabricated reports before the Hon'ble Tribunal and have also failed to properly comply with the orders passed by the Hon'ble Tribunal.

11. यह कि प्रतिवादियों द्वारा जानबूझकर झूठी, भ्रामक एवं मनगढ़ंत रिपोर्ट प्रस्तुत कर मामले को अनावश्यक रूप से कागजी कार्यवाही में उलझाया जा रहा है, जिससे न केवल प्रकरण के वास्तविक निस्तारण में विलंब हो रहा है, बल्कि माननीय न्यायाधिकरण का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ व्यतीत हो रहा है।

11. That, the respondents are deliberately submitting false, misleading and fabricated reports and unnecessarily entangling the matter in paper formalities, which is not only causing undue delay in the proper adjudication of the case, but is also resulting in the wastage of the valuable time of the Hon'ble Tribunal.

12. यह कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि जब तक प्रतिवादियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक वे न तो माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों का समुचित अनुपालन करेंगे और न ही वास्तविक स्थिति के अनुरूप सही एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

12. That, from the aforesaid facts and circumstances, it is evident that unless strict and effective punitive action is taken against the respondents, they will neither properly comply with the orders of the Hon'ble Tribunal nor submit true and factual reports reflecting the actual ground situation.

13. यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह अत्यंत आवश्यक है कि समस्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच हेतु शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए, जो झांसी महानगर में वृक्षों के अवैध कटान, कंक्रीटीकरण, हरित क्षेत्रों के विनाश तथा माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन की वास्तविक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण कर जांच करे। उक्त समिति द्वारा संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही की संस्तुति भी

की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पर्यावरण-विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

13. That, in view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is highly necessary that a high-level committee be constituted at the Government level for conducting a fair and detailed inquiry into the entire matter. The said committee may carry out a site inspection to ascertain the actual situation regarding illegal felling of trees, concretization, destruction of green areas, and compliance with the orders of the Hon'ble Tribunal in Jhansi city. The committee may also fix the responsibility of the concerned departments and officials and recommend necessary punitive and legal action against the persons found guilty, so as to ensure that such environmentally harmful activities are effectively prevented in the future.

14. यह कि आवेदक द्वारा प्रेषित आपत्तियों, Additional Submission, फोटोग्राफ्स तथा प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आख्याओं एवं फोटोग्राफ्स का स्थलीय परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन शासन स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति से कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्रकरण से संबंधित वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ रूप से आकलन किया जा सके। उक्त समिति द्वारा स्थल पर जाकर तथ्यों का परीक्षण करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में से कौन-सी स्थिति वास्तविकता के अनुरूप है, जिससे माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष सही एवं तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके।

14. That, the objections, Additional Submission, and photographs submitted by the Applicant, as well as the reports and photographs submitted by the respondents, require site inspection and physical verification by a high-level committee constituted at the Government level, which is highly necessary so that the actual situation relating to the present matter may be assessed in a fair and objective manner. The said committee should visit the site and examine the facts and also ensure as to which of the issues raised by the Applicant and the reports submitted by the respondents are in accordance with the actual ground reality, so that the true and factual position may be clearly placed before the Hon'ble Tribunal.

15. यह कि आवेदक यह स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसी किसी भी धमकी, दबाव अथवा पत्राचार के बावजूद वह पर्यावरण संरक्षण के इस जनहितकारी प्रकरण में माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष सत्य एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करता रहेगा और किसी भी प्रकार की तथाकथित "संतुष्टि" व्यक्त नहीं की गई है।

15. The applicant wishes to clarify that despite any such threats, pressures, or correspondence, he shall continue to present the true and factual situation before the Hon'ble Tribunal in this public interest environmental matter, and no so-called 'satisfaction' has been expressed in any manner.

प्रार्थना

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया:-

1. प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक **22.12.2023 (OA No. 742/2023)** तथा **21.08.2024 (OA No. 1075/2024)** के अनुपालन में की गई कार्यवाही की वास्तविक स्थिति की जांच हेतु शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।
2. उपरोक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियाँ, Additional Submission, फोटोग्राफ्स एवं प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आख्याओं तथा फोटोग्राफ्स का स्थलीय परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन हेतु शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। ताकि प्रकरण से संबंधित वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यात्मक रूप से आकलन सुनिश्चित किया जा सके।
3. झांसी महानगर में वृक्षों के तनों के चारों ओर तथा मार्गों के कच्चे एवं हरित क्षेत्रों पर किए गए कंक्रीटीकरण को तत्काल हटाने तथा वृक्षों के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करने की कृपा करें।
4. झांसी महानगर और नारायण बाग में हुए अवैध वृक्ष कटान, हरित क्षेत्रों के विनाश तथा कंक्रीटीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध उचित दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करें।
5. प्रतिवादियों द्वारा माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष झूठी, भ्रामक एवं मनगढ़ंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा आदेशों का समुचित अनुपालन न करने के संबंध में उपयुक्त कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।
6. आवेदक को मिल रही धमकियों को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानते हुए उचित संरक्षण एवं निर्देश पारित किए जाएं।
7. माननीय न्यायाधिकरण इस प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण एवं न्यायहित में अन्य कोई उचित एवं आवश्यक आदेश/निर्देश पारित करने की कृपा करें।

(PRAYER)

In light of the above facts and circumstances, the Applicant humbly prays before the Hon'ble Tribunal to kindly :-

1. Pass an order for the constitution of a high-level committee at the government level to examine the actual status of actions taken by the Respondents in compliance with the orders of the Hon'ble Tribunal dated 22.12.2023 (OA No. 742/2023) and 21.08.2024 (OA No. 1075/2024).
2. Pass an order for the constitution of a high-level committee at the government level for on-site inspection and physical verification of the objections, Additional Submissions, photographs submitted by the Applicant, and statements and photographs presented by the Respondents, so as to ensure an impartial, objective, and factual assessment of the actual situation in the matter.
3. Kindly direct the concerned departments to immediately remove the concretization carried out around the trunks of trees and on the kutchha and green areas along the roads in Jhansi city, and to take necessary effective action for the protection and conservation of trees.
4. Direct the identification of officers and persons responsible for illegal tree felling, destruction of green areas, and concreting in Jhansi city and Narayan Bagh, and take appropriate punitive and legal action against them.
5. Take appropriate strict action against the Respondents for submitting false, misleading, and fabricated reports before the Hon'ble Tribunal and for non-compliance with the Tribunal's orders.
6. Considering the threats being received by the applicant as interference in the judicial process, appropriate protection and necessary directions be issued.
7. Pass any other appropriate and necessary orders/directions in the interest of environmental protection and justice in the present matter.

दिनांक 10.03.202


आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा (आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता)
पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128

[ई-मेल-narendrakumarjhansi82@gmail.com](mailto:narendrakumarjhansi82@gmail.com)

मो. 9452041529



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No.11 OF2025

In

Original Application No. 1075 OF2024

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha

.....Applicant

Versus

Union of India & Ors

.....Respondents



शपथ-पत्र

शपथकर्ता मिनजानिव- नरेन्द्र कुशवाहा (पर्यावरण एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता) पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा
पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128

मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में आवेदक है तथा हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं।
2. यह कि संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 15.12.2025 के विरुद्ध शपथकर्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में सही-सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथ-पत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथ-पत्र का भाग माना जावे।

मैं शपथकर्ता नरेन्द्र कुशवाहा तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में दाखिल संयुक्त समिति की आख्या के विरुद्ध शपथकर्ता/आवेदक की ओर से प्रेषित आपत्ति की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है कोई बात झूठी नहीं है यह तस्दीक आज दिनांक -03-2020 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।


Serial No. 493 Date 10/03/2026
Certified that the foregoing statement
sworn before me this day at 11:20 A.M.
by shri. नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल
whom the contents of this affidavit
have been read over and explained and
who is identified by shri. Satish Kumar Tripathi
Received the legal fee Rs.35/- each

SATISH KUMAR TRIPATHI
Advocate

Notary Govt of India, Jhansi (U.P.)

शपथकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा



The said photograph depicts the concretization of the unpaved/green areas of Jhansi city roads being carried out in the name of 'beautification and development.'

